

का पेश हो।

२/४/२१

पगावली पेश हुई। प्रार्थोमिय वकील उपना प्रार्थो द्वारा मूल दावा विद्वां कुर लिया है अता प्राच्यग सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है पूर्व में जारी न. I. खारिज की जाती है पगावली दाखिल दफतर है

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (भरतपुर)